



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072024-255499
CG-DL-E-17072024-255499

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 2024/आषाढ 25, 1946

No. 23]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16, 2024/ASHADHA 25, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2024

फा. सं. ए/1/2017-आईडब्ल्यूटी.—भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 3 की उप-धारा 3(घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, श्री संजय कुमार, आईएएस (एनएल:1992), एएस और एफए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्थान पर श्रीमती रिचा मिश्रा, जेएस और एफए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश होने तक भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के बोर्ड के एक अंश-कालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

आर. लक्ष्मणन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2024

F. No. A/1/2017-IWT.—In exercise of the Powers conferred by Sub-Section 3 (d) of Section 3 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Central Government hereby appoints Mrs. Richa Misra, JS & FA, Ministry of Ports, Shipping and Waterways as a part-time Member in the Board of Inland Waterways Authority of India(IWAI) in place of Shri Sanjay Kumar, IAS (NL:1992), AS & FA, Ministry of Ports, Shipping and Waterways with immediate effect, until further orders.

R. LAKSHMANAN, Jt. Secy.

4272 GI/2024

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.